



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर  
दुसरी मंजील, जीएसआई फैल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,  
पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005, फोन- 0771-2282530 /2285590 /95  
मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com

No. CHG/RAP/LST-61/ 38CHG14023

Mine code: 38CHG14023

Date: 04.10.2021

सेवा में,

श्री खेमलाल वर्मा (खान मालिक),  
बिट्कुली लाइमस्टोन माइन,  
टीचर्स कॉलोनी, बजरंग वार्ड नं0-5,  
पोस्ट- तिलदा, जिला- रायपुर,  
छ.ग. पिन-493114  
ईमेल- khemalverma45@gmail.com

**विषय-** छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापाड़ा जिले में स्थित बिट्कुली लाइमस्टोन माइन, (1.457 हेक्टेएर) श्री खेमलाल वर्मा (खान मालिक), के खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक **23.09.2021**को श्री **देबदुर्लभ दाश**, वख्भू द्वारा आपकी उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45(5) (c)	Following information are furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021:  (i) Surface area utilization. (ii) Mineral reserves (iii) Mineral rejects generated has been cited as overburden

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम **45(7)(क)** के अंतर्गत

के अंतर्गत :-

- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (प्रतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(देबदुर्लभ दाश)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 2 उप—महानिदेषक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर —440001
- 3 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स,  
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।